

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2015-16 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
637	उपाय तथा साधन अग्रिम	5175000000
779	कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	1220100000
938	केन्द्रीय तथा जिला जैले	14030000
1869	तकनीकी शिक्षा संचालनालय	1735900
2629	पुलिस	200 *
3370	संचालनालय उद्योग	100 *
3537	मुख्य कार्यालय	1794000
3555	मुख्यालय	1417000
3565	मुख्यालय स्थापना	100 *
3896	वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति	20000000
4035	विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ दण्ड तथा अन्य प्राप्तियाँ	70000000
4155	वेतार केन्द्र रायपुर	100 *
4281	संग्रह प्रभार - बिजली शुल्क	248700000
4643	क्षेत्रीय स्थापना	100 *
4849	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण	13500000000
4855	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	800000000
4948	डिक्री धन का भुगतान (भारित)	6500000
5338	राज्य वित्त आयोग	500000
5429	युवक कल्याण गतिविधियाँ	20000000
5520	छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पो लि. रायपुर	100 *
5558	जिला उपभोक्ता फोरम भवनों का निर्माण	20000000
6717	प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय	100 *
6758	कृषि पंपो का उर्जीकरण	537450958

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2015-16 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
7261	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	570000000
7362	साक्षर भारत योजना	50000000
7693	सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान	40000000
7745	छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना	100 *
7748	सूखा प्रभावित कृषकों के लिये कृषि ऋण राहत योजना	800000000
7758	उदय योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान	8701200000
7778	हाथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु सहायता	100 *
7782	सहकारी शक्कर कारखानों को अनुदान	100 *
7783	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी	100 *
योग		31798429058

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 2